



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियोग में 02 अभियुक्त/अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु0अ0सं0-320/23 धारा-302,201,34 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय जिला/सत्र न्यायाधीश जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1.वीरेन्द्र पुत्र रघुवीर निवासी पारा शंकरपुर, थाना कुरारा हमीरपुर व एक अभियुक्ता निवासिनी थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व ₹25,000-25,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
डीडीसी राजेश कुमार
शुक्ला



विवेचक-
निरी0 श्री प्रकाश
यादव



पैरोकार- थाना कुरारा
का0 रजनीश यादव